

प्रेषक,

अविनाश चन्द्र मिश्र,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/  
विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट  
(अनन्य न्यायालय), कोर्ट नं0-1, मुरादाबाद।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय  
इलाहाबाद।

द्वारा

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,  
मुरादाबाद।

विषय-

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024  
दिनांक-28 जून, 2024 के कम में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प पत्र के  
सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/शिक्षितों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक-28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रार्थी की नियुक्ति विज्ञापित संख्या-ए-2/ई-1/2003 दिनांकित- 22-28 नवम्बर, 2003 के अन्तर्गत हुई है तथा उपरोक्त शासनादेश से आच्छादित है।

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांकित-28 जून, 2024 की व्यवस्था के कम में मेरे द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना गया है तथा विकल्प पत्र इस अनुरोध पत्र के साथ संलग्न है।

अतः श्रीमान जी से सादर अनुरोध है कि प्रार्थी के विकल्प पत्र को संस्तुति एवं सहमति के लिये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

संलग्नक-विकल्प-पत्र।

Attn: 5-8-2024  
(अविनाश चन्द्र मिश्र),

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/  
विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट

(अनन्य न्यायालय), कोर्ट नं0-1, मुरादाबाद।

आई.डी.-यू.पी. 6307

दिनांक-05.08.2024

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पत्रांक- प्रशा0 मुरादाबाद, दिनांक- .08.2024

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को  
सादर अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश,  
मुरादाबाद।

शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना के चयन का विकल्प पत्र-

विकल्प-पत्र

1. नाम अविनाश चन्द्र मिश्र
2. वर्तमान पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट (अनन्य न्यायालय), कोर्ट नं0-1, मुरादाबाद
3. वेतनमान 1,72,960/-रु0 (1,44,840-194660, Level J-5)
4. वर्तमान विभाग का नाम न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित जारी करने वाले विभाग का नाम- कार्मिक एवं न्याय विभाग (नियुक्ति अनुभाग-4) उ0प्र0 शासन लखनऊ/लोक सेवा आयोग उ0प्र0
6. विज्ञापित की तिथि- Advt.No.A-2/E-1/2003 (Employment News 22-28 November, 2003)
7. विज्ञापित के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- 26.05.2006(सं.2430/दो-4-06-32(1)/2001टी.सी.-1)
8. योगदान की तिथि- 19.06.2006
9. जन्मतिथि- 15.08.1975
10. सेवानिवृत्ति की तिथि- 31.08.2035

मैं अविनाश चन्द्र मिश्र पुत्र श्री राम नरेश मिश्र शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर Amish 5-8-2024  
नाम- अविनाश चन्द्र मिश्र  
पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/  
विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट  
(अनन्य न्यायालय), कोर्ट नं0-1, मुरादाबाद।  
आई.डी.-यू.पी. 6307

घोषणा-पत्र

मैं, अविनाश चन्द्र मिश्र, पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट (अनन्य न्यायालय), कोर्ट नं0-1, मुरादाबाद यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कम संख्या 1 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर Amish 5-8-2024  
नाम- अविनाश चन्द्र मिश्र  
पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/  
विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट  
(अनन्य न्यायालय), कोर्ट नं0-1, मुरादाबाद।  
आई.डी.-यू.पी. 6307

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री अविनाश चन्द्र मिश्र, पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट (अनन्य न्यायालय), कोर्ट नं0-1, मुरादाबाद को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति